442/C

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99

REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-08022025-260856
SG-DL-E-08022025-260856

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 45]	दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 7, 2025/माघ 18, 1946	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 382
No. 45]	DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 7, 2025/MAGHA 18, 1946	[N. C. T. D. No. 382

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

महिला एवं बाल विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 29 जनवरी, 2025

फा.सं. 22(10)/भर्ती नियम/पर्यवेक्षक ग्रेड–I/प्रशा./महि.एवं बा.विका./2021/1125.— गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना संख्या फा0 27/59–एचआईएम (i) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, एतद् द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में ''पर्यवेक्षक (महिला) ग्रेड–I'' के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभः**–(i) इन नियमों को 'महिला एवं बाल विकास विभाग, पर्यवेक्षक (महिला) ग्रेड–I भर्ती नियमावली, 2024' कहा जाए।

   (ii) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर** :– उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु–सीमा, योग्यताएं इत्यादि** :– उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु–सीमा, योग्यता एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

977 DG/2025

4. **अयोग्यता** :—वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; अथवा

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह की संविदा कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

5. **शिथिल करने की शक्ति**:—जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए तथा आदेश द्वारा व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी भी उपबंध को छूट दे सकती है।

6. **बचाव**:—इन नियमों में केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु—सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1.	**पदनाम**	:	पर्यवेक्षक (महिला), ग्रेड–I
2.	**पदों की संख्या**	:	57 (2024)* *इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर। अभ्युक्ति : गैर—संवर्ग
3.	**वर्गीकरण**	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा, अलिपिकीय, अराजपत्रित, समूह—ख
4.	**पे—बैंड तथा ग्रेड पे/वेतनमान**	:	6 अभ्युक्ति : वेतन मैट्रिक्स में स्तर—6 (रुपये 35400—112400/—)
5.	**क्या चयन पद है अथवा गैर—चयन पद**	:	चयन पद
6.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा**	:	लागू नहीं
7.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यता**	:	**अनिवार्य** **योग्यता** : लागू नहीं **अनुभव** : लागू नहीं **वांछनीय** **योग्यता** : लागू नहीं **अनुभव** : लागू नहीं
8.	**क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।**		**आयु** : लागू नहीं **शैक्षिक योग्यता** : लागू नहीं
9.	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई है**		02
10.	**भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत**		**पद्धति** : पदोन्नति **प्रतिशत** : 100
11.	**यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति /**	:	**पदोन्नति :** नियमित आधार पर उनकी नियुक्ति के पश्चात् प्रदान की गई ग्रेड में

	आमेलन किया जाना है		06 वर्षों की सेवा सहित वेतन मैट्रिक्स के स्तर–5 (रुपये 29200–92300/–) में पर्यवेक्षक, ग्रेड–II (महिला) तथा उन्होंने सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा निर्धारित कम–से–कम 02 सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण किया हो। **मानक टीप :** जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है; वे पदोन्नति के लिए विचारणीय है। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे; बशर्ते कि अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा से न्यून न हो, आधे से अधिक हो अथवा दो (02) वर्ष, इनमें से जो भी कम हो तथा उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है।
12.	**यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो, तो इसकी संरचना क्या है?**	:	**<u>विभागीय पदोन्नति समिति</u>** 1. प्रधान सचिव, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (अध्यक्ष) 2. प्रशासनिक सचिव, महिला एवं बाल कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (सदस्य) 3. विशेष या अपर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (सदस्य) 4. निदेशक, महिला एवं बाल कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (सदस्य) **<u>विभागीय स्थायीकरण समिति</u>** 1. प्रधान सचिव, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (अध्यक्ष) 2. प्रशासनिक सचिव, महिला एवं बाल कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (सदस्य) 3. विशेष या अपर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (सदस्य) 4. निदेशक, महिला एवं बाल कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (सदस्य)
13.	**वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।**	:	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाना आवश्यक नहीं है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल

के आदेश से तथा उनके नाम पर,

मिताली नामचूम, निदेशक

DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 29th January, 2025

F. No. 22(10)/R.R/Supervisor Gr-I/Admn/WCD/2021/1125.—In exercise of the powers conferred by the provision to article 309 of the Constitution read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, notification number F-27/59-Him. (i), dated the 13 th July, 1959, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby makes rules regulating the method of recruitment to the post of Supervisor (Women), Grade - I in the Department of Women and Child Development, Government of National Capital Territory of Delhi as following, namely:-

1. **Short title and commencement**:-(i) These rules may be called the Department of Women and Child Development, Supervisor (Women), Grade-I, Recruitment Rules, 2024. (ii) They shall come into force on the date of their

publication in the Delhi Gazette.

2. **Number of Posts, Classification and level in the pay matrix**:-The number of the said posts, their classification and Level in the pay matrix attached there to shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, Qualifications, etc**: The method of recruitment to the said posts, age limit. Qualification and other matters connected there with, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification**:-No person-

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Powers to relax**:-Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by an order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving**: -Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the order issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	**Number of Posts**	**Classification**	**Pay Band and Grade pay/Pay Scale**	**Whether Selection or non-Selection posts**	**Age limit for direct Recruits**	**Educational and other qualification required for direct recruits**	**Whether age and Education qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotes.**
1	2	3	4	5	6	7	8
Supervisor (women), Grade-I	57 (2024)* *Subject to variation dependent on work load Remark: Ex-Cadre	General Central Service Non-Ministerial Non-Gazetted Group-B	6 Remark: Level-6 (Rs. 35400-112400) in the Pay Matrix	Selection Post	Not applicable	Essential Qualification: Not applicable Experience: Not applicable Desirable Qualification: Not applicable Experience:	AGE:NA Edu. Qual: NA

						Not applicable	

Period of Probation if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstance in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
9	10	11	12	13
2 years	**Method**: Promotion **Percentage**: 100	**Promotion:** Supervisor, Grade-II (Women) in Level -5 in the Pay Matrix (Rs. 29200-92300/-) with 06 Years Service in the Grade rendered after appointment thereto on regular basis and having successfully completed at least 2 weeks training as prescribed by the Competent Authority. **Standard Note:** Where juniors who have completed their qualifying/ eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/ eligibility service by more than half of such qualifying/ eligibility service or 2 years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility Service.	**Departmental Promotion Committee** 1. Principal Secretary, Directorate of Training and Technical Education, Govt. of NCT of Delhi (Chairman) 2. Administrative Secretary, Department of Women and Child Development, Govt. of NCT of Delhi (Member) 3. Special or Addl. Secretary, Health & Family Welfare, Govt. of NCT of Delhi (Member) 4. Director, Department of Women and Child Development, Govt. of NCT of Delhi (Member) **Departmental Confirmation Committee** 1. Principal Secretary, Directorate of Training and Technical Education, Govt. of NCT of Delhi (Chairman) 2. Administrative Secretary, Department of Women and Child Development, Govt. of NCT of Delhi (Member) 3. Special or Addl. Secretary, Health & Family Welfare, Govt. of NCT of Delhi (Member) 4. Director, Department of Women and Child Development, Govt. of NCT of Delhi (Member)	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary

By Order and in the Name of Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
MITALI NAMCHOON, Director

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA